




न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाडा

भगवती लाल पारीक पुत्र नानूराम पारीक निवासी चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा वगैरह	बनाम	आशा देवी पत्नी बंशीलाल नाई निवासी चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा वगैरह
- प्रार्थी		-विपक्षी

प्रकरण संख्या 68/2025 विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2025	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी करें। पत्रावली तलबी हेतु दिनांक 09/12/2025 को पेश हो।  <p style="text-align: center;">                       अति. जिला कलक्टर                      भीलवाडा                 </p>	वा.सि.
09/12/25	पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक सं. 31, भीलवाडा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 13-1-26 को पेश हो।  <p style="text-align: center;">                       अतिरिक्त जिला कलक्टर                      भीलवाडा                 </p>	31 जनवरी 2025
13.1.26	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिसूचना उप. 1 प्रकलन में उभयपक्षों की दलीलें सुनी गई व पत्रावली में अवलोकन पर पाया गया कि उक्त प्रकलन सं. 31/2025 दिनांक 7.8.24 से निर्जित किया जा चुका है पुनर्विलोकन नहीं किया - मायालय में चारापेसी ठामे हेतु स्वयं ही अतः उक्त पुनर्विलोकन प्र.पत्र इसी हिसाब पर खारिज किया जा रहा है। पत्रावली नंबर से कम होकर फैसल सुमात है।  <p style="text-align: center;">                       अति जिला कलक्टर                      भीलवाडा                 </p>	